न्यायालयः—अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारीः—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 78/2017   दायरा दिनांकः 17.05.2017   GCMS CASE NO- 2017/00119

सुरजाराम पुत्र श्री सोहनलाल जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़
—प्रार्थी

बनाम

1. सतार खॉं पुत्र श्री वरियाम खॉं जाति मुस्लमान निवासी चक 3 एमसी तहसील सूरतगढ़
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

——अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थितः—
1. श्री शिशपाल शर्मा, सुरेन्द्र सुथार, श्री धर्मपाल सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भगवानदत्त शर्मा एवं श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज

:: निर्णय ::   दिनांकः—28.01.2025

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 11,14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सतार खां ने चक 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ में पत्रावली आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ संख्या 42/2016 निर्णय दिनांक 23.05.2016 द्वारा पत्थर नं. 73/30 के किला नं. 5/1, 6, 7/1, 8/1, 12/1, 13/1, 14 से 19, 20/1, 21/1, 22 से 25 = 3.516 है0 अनकमाण्ड़ बतौर मीडियम पेच, पत्रावली संख्या 153/2016 निर्णय दिनांक 23.06.2016 द्वारा चक 3 एम.सी. के पत्थर नं. 73/46 के किला नं. 16 से 25 = 2.530 है0 रकबा मीडियम पेच में आवंटन करवाया। अप्रार्थी सतार खां को चक 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 73/30, 73/46, 73/38, 73/45 की भूमि मीडियमपेच, स्मालपेच में आवंटन के अधिकार नहीं थे। उसके द्वारा उक्त स्मालपेच/मीडियमपेच आवंटन सांठ—गांठ कर, गलत रूप से, तथ्यों को छुपाकर, सीलिंग सीमा से अधिक धारण भूमि होते हुए व आवंटित भूमि स्मालपेच/मीडियम पेच ना होते हुए भी आवंटन करवाई है। अप्रार्थी के धारण में उसके द्वारा विक्रय की गई भूमि वाके चक 3 एम.सी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 75/43, 75/51, 75/60, 75/52 में 7.298 है0 में से 1/4 हिस्सा अर्थात 1.8245 है0 कमाण्ड चक के खाता संख्या 75/896 के पत्थर नं. 75/50, 75/42, 75/43, 75/51 में 8.602 है0 कमाण्ड—अनकमाण्ड के 2.151 है0 में से 1/4 हिस्सा, उदयपुर मुसलमान जमाबन्दी सम्वत् 2064 में पत्थर नं. 77/17 के किला नं. 1 से 15=3.795 है0 अनकमाण्ड, 77/9 में 3.239 है0 अनकमाण्ड रकबा स्वयं का जो उसने विक्रय कर दिया। पत्थर नं. 77/10 में 0.506 है0 बारानी, इसी प्रकार चक 4 के. एस.एल. जमाबन्दी सम्वत् 2063 के खाता सं. 58 में पत्थर नं. 95/40, 96/25, 96/41, 96/42, 96/33, 96/34, 19/26 में 14.502 है0 में से 3.625 है0 में से 1/4 हिस्सा, जो उसने विक्रय कर दिया। इसके अलावा पत्थर नं. 73/46 में 3.795 है0, 73/38 में 1.935 है0 अनकमाण्ड खातेदारी है। आवंटन पत्रावली में 73/38, 73/46 का ही रकबा दर्शाया गया है। शेष रकबा नहीं दर्शाया। इस प्रकार तथ्य [illegible] भूमि सीलिंग सीमा प्रावधानों के विपरीत अप्रार्थी द्वारा करवाया गया आवंटन निरस्त [illegible] किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर [illegible] किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित हुए। [illegible] आदेश 7 नियम 11 [illegible] पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)
1138

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया है कि मुझ सतार खां द्वारा चक 3 एम सी तहसील सूरतगढ़ के पत्थर न. 73/45, पत्थर न. 73/30, पत्थर न. 73/46 में स्मालपेच एवं मीडियम पेच आवंटन राज्य सरकार को धोखा देकर करवाया है। शिकायतकर्ता प्रकरण में ना तो हितबद्व पक्षकार है और न ही उसके हित प्रभावित हो रहे है। शिकायतकर्ता का कथन है कि मुझ अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा मीडियम पेच एवं स्माल पेच आवंटन के समय स्वयं द्वारा धारित भूमि, जो सीलिंग सीमा से अधिक है, को छुपाकर आवंटन आदेश आवंटन अधिकारी, सूरतगढ़ से दिनांक 23.05.2016 व 23.06.2016 को प्राप्त किये हैं। जबकि आवंटन आदेश में पटवारी रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट पर पूर्ण विचारण करने के पश्चात ही आवंटन हुआ है। इसमें यदि कोई त्रुटि है तो उसी छुपाव नहीं कहा जा सकता। आवंटन प्रार्थना–पत्र में किये छुपाव के सम्बन्ध में आवंटन नियमों की धारा 21 में आवंटन अधिकारी द्वारा विचार कर शिकायत सही पाये जाने पर आवंटन निरस्ती के अधिकार आवंटन नियमों में हैं। यह विशिष्ट नियम है जो कि सामान्य उपनिवेशन अधिनियम की अधिकारिता को समाप्त करता है। यद्यपि शिकायत तथ्यहीन व झूठी है, किन्तु सत्य होने पर भी सुनवाई के अधिकार आवंटन अधिकारी को हैं। धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम यहां प्रभावशील नहीं। इस धारा में क्षेत्राधिकार विहीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे खारिज किया जावे। न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे. 2016 पेज सं. 405 तथा आर.बी.जे. 2019 पेज सं. 222 की ओर ध्यान दिलाया।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए तथा वकील अप्रार्थी संख्या 01 के तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि मात्र जवाब प्रार्थना–पत्र 11–14 उपनिवेशन अधिनियम से बचने के लिए एवं पत्रावली के निर्णय में विलम्ब करने हेतु प्रार्थी (अप्रार्थी संख्या 01) द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का पूर्ण रिकार्ड एवं तथ्य पत्रावली में उपलब्ध है। विशिष्ट प्रावधानों के होते हुए भी मूल विधि इस सम्बन्ध में उपनिवेशन अधिनियम है, इसलिए माननीय न्यायालय को शिकायत 11–14 उपनिवेशन अधिनियम में सुनने का अधिकार है। आवंटन प्रथमतः मीडियम पेच व स्मालपेच की सीमाओं में ना होते हुए मीडियम व स्माल पेच मानते हुए भी अप्रार्थी संख्या 01 सतार खां को विधि विरूद्व हुए आवंटन किया गया है, जिसे उपनिवेशन अधिनियम की धारा 11 सपठित धारा 14 के अन्तर्गत कलक्टर द्वारा विचारण कर निरस्ती योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को निरस्त किया जाकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

प्रार्थनापत्र पर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रथम बिन्दु क्षेत्राधिकार के विषय में है। इस विषय में अप्रार्थी मूल प्रार्थना–पत्र एवं आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि आवंटन इस सम्बन्ध में बनाये गये इ.गा.न. क्षेत्र में भू–आवंटन एवं विक्रय नियम, 1975 के अन्तर्गत किया गया है एवं उक्त आवंटन नियम की धारा 21 में अंकित किया गया है कि :–

" If at any timeit is discovered that any allotment of Government land was made under there rules upon on incorrect statement of facts made in the application or in the affidavit or any other document produced by an allottee, the allotting authority, may order cancellation of such allotment .... (and the amount of installment already paid shall be forfeited)"

इस प्रकार के आवंटन अधिकारी को विशिष्ट नियमों में प्रावधान होते हुए धारा 11 सपठित धारा 14 उपनिवेशन अधिनियम के जनरल रूल [illegible] करने का अधिकार कलक्टर को है अथवा नहीं, इस विषय में माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर ने न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 2018 पेज सं. 405 में यह निर्धारित किया गया है कि "If any allotment of Government land has been made on the basis of wrong facts, that allotment can be cancelled only by allotting authority"

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 18:31:35 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध मूल प्रार्थना–पत्र 11–14 उपनिवेशन अधिनियम के प्रार्थी सुरजाराम द्वारा किसी प्रकार का न्याय निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रभावी माने जाने योग्य हैं। निर्णय में प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.डी. 1980 पेज सं. 5 एवं ए.आई.आर. 2015 (राज.) पेज सं. 105 का उल्लेख है कि जिसमें"**Maximum generally a speciality non ………. applicability"** की पूर्ण व्याख्या की गई है। इस व्याख्या अनुसार विशिष्ट प्रावधान साधारण प्रावधान पर वरीयता प्राप्त करता है। न्याय निर्णय प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर पूर्ण प्रभावी प्रतीत होता है।

द्वितीय विचारण बिन्दु सीलिग सीमा के संबंध में प्रार्थी (मूल प्रार्थना–पत्र 11–14 उपनिवेशन अधिनियम) को अप्रार्थी के धारण में भूमि हद बन्दी अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत उसके धारण में अधिक भूमि होने के आरोप के सम्बन्ध में है। यद्यपि इस बिन्दु पर बिन्दु प्रथम क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अधिकारिता ना होने का आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रार्थी के हक में निर्णय किया जाने योग्य है। वर्तमान बिन्दु पर विचारण आवश्यक नहीं, किन्तु न्याय हित में विचारण करने पर पाया कि प्रार्थना–पत्र 11–14 उपनिवेशन अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में वर्णित समस्त साक्ष्य व दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थी सतार खां के धारण एवं उस द्वारा विक्रय की गई समस्त भूमि की गणना करने पर अप्रार्थी सतार खां की धारित भूमि सीलिंग सीमा, जो अभिभाषक अप्रार्थी सतार खां द्वारा वर्णित की गई 27 एकड़ कमाण्ड यदि मानी जावे, उस अनुसार सतार खां के धारण में करीब 10 बीघा कमाण्ड भूमि माने जाने योग्य है जो 7 एकड़ से कम बनती है। शेष रही भूमि की सतार खां की सीमा सूरतगढ़ डेजर्ट जोन में होने से करीब 220 बीघा बारानी तक पाने का पात्र हो सकता है। इस में सतार खां की धारण क्षमता सीलिंग सीमा से अधिक नहीं मानी जा सकती। इस बिन्दु पर भी प्रथम दृष्टया प्रार्थी सुरजाराम का मामला सन्देह से परे सिद्ध नहीं होता।

तृतीय विचारण बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण कर पत्थर नम्बर में स्थित भूमि को ही स्माल पेच हेतु मानते हुए विचारण कर आवंटन किया गया है। विवाद होने पर अपीलीय विचारण का मामला बनता है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार इस न्यायालय को धारा 11 सपठित धारा 14 उपनिवेशन अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान आवंटन नियमों से होने से एवं न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 2018 पेज सं. 405 के अनुसरण में प्रार्थना–पत्र मूल प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम क्षेत्राधिकार विहीन होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (मूल प्रार्थना–पत्र 11–14 उपनिवेशन अधिनियम में अप्रार्थी सतार खां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) का स्वीकार किया जाकर शिकायतकर्ता सुरजाराम का मूल प्रार्थना–पत्र धारा 11 सपठित धारा 14 उपनिवेशन अधिनियम क्षेत्राधिकार विहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। हस्तगत पत्रावली की आदेशिका दिनांक 17.05.2017 द्वारा पारित स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.05 13:31:35 IST
Reason: SelfAttested

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner